दिनांक 29.06.2017

स्वच्छ भारत अभियान **स्वच्छ एवं सुदर भिलाई**

भिलाईनगर/निगम आयुक्त के0एल0 चौहान ने लोक सेवा केन्द्र तथा शहर के च्वाईस केन्द्रो से आनलाईन जमा किये जाने वाले आवेदन जन्म–मृत्यु, विवाह पंजीयन,गुमास्ता,ट्रेड लाईसेंस,सहित अन्य आवेदन पत्रो की समीक्षा करते हुए कहा कि हितग्राहियों द्वारा जमा किये गये सभी आवेदनों का प्रमाण–पत्र समय सीमा में तैयार कर आवेदकगणो को संबंधित च्वाईस सेन्टर से प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें ।

आम जनता के सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा सीधे जनता से जुडे योजनाओं के सभी तरह के प्रमाण–पत्रो को लोक सेवा केन्द्र अथवा नगर के किसी भी च्वाईस सेन्टर में संबधित योजना के आवश्यक दस्तावेज को स्केन करा कर आवेदन करने की सुविघा प्रदान किया गया है । आवेदन पर होने वाले कार्यवाही की जानकारी आवेदक के मोबाईल पर सूचना भेजा जाना होता है । पेपर लेस गवर्नेश के के तहत नगर पालिक निगम भिलाई में भी यह सुविघा लागू किया गया है आयुक्त श्री चौहान लोक सेवा केन्द्र में शामिल नागरिक सुविघा के सभी योजनाओं का गुरूवार को समीक्षा करते हुए आनलाईन अधिकारी अशोक पहाडिया से जानकारी लिये उन्होने बताया कि निगम के लोक सेवा केन्द्र तथा च्वाईस केन्द्रो से जन्म–मृत्यु प्रमाण–पत्र, दुकान एवं स्थापना पंजीयन,व्यापार अनुज्ञप्ति, विवाह प्रमाण–पत्र, जन्म सुघार, सम्पत्तिय नामांतरण, वृद्धावस्था पेंशन, मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विधवा पेंशन, विवाह प्रमाण–पत्र सुधार, सुखद सहारा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, निःशक्त पेंशन के कुल 35822 आवेदन पत्र आनलाईन जमा किये गये थे जिसमें 33908 आवेदन पत्र अनुमोदित किये जा चुके है । 223 आवेदन निस्त योग्य है । आयुक्त ने निरस्त योग्य आवेदनो के संबंध में कहा कि निरस्त करने से पहले आवेदन में जो कमी है उसे पुर्ति करावा लिया जाए ताकि आवेदक को एक ही कार्य के लिए बार–बार राशि खर्च न करना पडे तथा अनावश्यक भटकना न पडे ।

आयुक्त ने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि उक्त 16 प्रकार से संबंधित आवेदन करने के लिए लोक सेवा केन्द्र तथा च्वाईस केन्द्रो के लिए आवेदन शुल्क 30 रूपये निर्धारित है साथ ही आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज को स्केश करने का शुल्क तथा प्रमाण–पत्र का शुल्क 5 रूपये के अतिरिक्त किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि का भुगतान केन्द्रो न करें । आवेदन जमा किये जाने के बाद कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र किये जा रहे कार्यवाही की तथा कार्य पूर्ण हो जाने की जानकारी आवेदकगणो को मोबाईल पर सूचित किया जाता है । प्रमाण–पत्र बनने की सूचना प्राप्त होने के बाद ही आवेदक संबंधित केन्द्र में उपस्थित हो कर अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हुए अपने कार्य के लिए बार–बार लोक सेवा केन्द्र अथवा च्वाईस सेन्टर का चक्कर लगा कर अपने घन और समय नष्ट करने की आवश्यकता नही है । आवेदन जिस केन्द्र में किया गया है प्रमाण–पत्र उसी केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है ।

जनसम्पर्क अधिकारी